न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 04/2024

प्रार्थी

सरकार जरिए उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पौ.सं.), सहायक निदेशक कार्यालय कृषि(विस्तार), सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री उनाजी जाति प्रजापत निवासी सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही मैसर्स रूघनाथराम किसनाजी, सिरोडी, तहसील रेवदर जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 22.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2022 को उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पौ.स.), सहायक निदेशक कार्यालय कृषि(विस्तार), सिरोही द्वारा अप्रार्थी की दुकान जो मैसर्स रूघनाथराम किसनाजी सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही के नाम से है, का निरीक्षण करने पर Phosphate Rich Organic Manure (PROM) उर्वरक के 56 कट्टे अमानक पाए जाने पर प्रार्थी के द्वारा कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किए गए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई एवं जब्त किए उर्वरक को रिलीज किए जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 03.08.2022 को प्रार्थी द्वारा उर्वरक विक्रेता मैसर्स रूघनाथराम किसनाजी सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही का निरीक्षण कर मौका पर्चा भरकर सेम्पल के तीन नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक [illegible] जिसमें उक्त उर्वरक अमानक पाए जाने पर अप्रार्थी को कारण ब[illegible] जारी किया गया एवं उर्वरक के विक्रय एवं स्थानान्तरण [illegible].2022 को अप्रार्थी के स्टॉक रजिस्टर में [illegible] मौका पर्चा उर्वरक की जब्ती की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2022 को अमा[illegible] उर्वरक के पुनः विश्लेषण [illegible] निवेदन

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने पर पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड जालोर को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। अतः उक्त उर्वरक के रैफरी नमूने में मानक पाए जाने के आधार पर इसे जब्ती से मुक्त किया जाना है। अतः उर्वरक को जब्ती से मुक्त किए जाने की स्वीकृति/अभिशंषा प्रदान कराने का श्रम करावें।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को कृषि विभाग द्वारा गलत रूप से कब्जे सरकार लिया गया है, जिसका सैम्पल भी मानक आया है एवं उक्त उर्वरक को कब्जे सरकार लिए जाने से उर्वरक भी पडा हुआ खराब हो रहा है एवं उक्त उर्वरक के खराब होने से मुझे भारी नुकसान कारित होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को रिलीज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

दोनों पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.08.2022 को उर्वरक विक्रेता मैसर्स रूघनाथराम किसनाजी सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही का निरीक्षण कर मौका पर्चा भरकर सैम्पल के तीन नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक अमानक पाए जाने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रार्थी द्वारा उक्त उर्वरक के विक्रय एवं स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई एवं दिनांक 10.09.2022 को अप्रार्थी के स्टॉक रजिस्टर में Phosphate Rich Organic Manure (PROM) उर्वरक के 56 कट्टे पाए जाने से मौका पर्चा उर्वरक की जब्ती की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2022 को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु निवेदन करने पर पर प्रार्थी द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड जालोर को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए उक्त Phosphate Rich Organic Manure (PROM) उर्वरक के रैफरी नमूने के विश्लेषण में मानक पाए जाने से प्रार्थी द्वारा भी उक्त उर्वरक को अप्रार्थी को लौटाए जाने का कथन किया गया है एवं उक्त उर्वरक को अप्रार्थी को लौटाए जाने पर प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए Phosphate Rich Organic Manure (PROM) उर्वरक के 56 कट्टों को जब्ती से मुक्त (Release) किए जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:35 IST
Reason: SelfAttested

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner